प्रपत्र-30.3

परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.050 किमी०)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम

> > तहसील व जिला—अल्मोड़ा अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालवाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.050 किमी०) के निर्माण हेतु कुल 2.565 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमी स्वान् भाह द्वारा दिनांक 22-08-20 को सम्पन्न ग्राम समा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तिवारीखान, माठ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



9.08 - हिमस

दिनांक 22:08:-19. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तिवारी खान

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	कियाम रिकेट मुहर्।	Jon 121
6		o for the second
2	1130 31 2014	21 0/0/2 /212
		1
	H-117 (S) E 3821	1 1 =
		Sulsing
1	May (8)2 8/21	SOUR!
	-c1-6-1 1t) E DE(1	v-lec
Š	-c1-97 to 8 981	-do G 1296,
	Maria Maria	
G	प्रिशा डिट कार्ला	ted kany
	7-4-1 Rig 410A	
(3)	25-1 195 41W	नन्दा सिंह
	5	
(2)	0 KJ 16 E	P. S Mrs
	dal tions	~ ^
10	QH = 1011	रमा देव
1. 33.49.2.74	Ho) blen	
m	मुद्र नाल	Hoj blant
<u> </u>	2011	0
	270 114	
		4

The second secon

प्रपत्र-30.4

दिनांक 22:4.8:.!9.. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत माठ

कुमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
P 11 3		gvara
	626 KS 089	(ca) 20 12 7
		600 Din 17
	1135 18 6 3 5(1)	2113-1 RIE
		2121 of 1518
	11-11 BEDELL	1 7
S		om a last
	राजीव भेटरा	01.
4	2119	- And
(0)	7-6-1 148 28(1	
(S)		FOG ME
	अपे-द सिंह	48
(6)		
	Tga1-1 68 2189	
Ch		D. S. Miles
	45-61 16 5 HECI	B41 58
(6)		8-1/128
	नन्दन छिट्ट मेहा	
	4.47 10 C 7a1	Nisha
200	केमला देवी	San 18
1	प्रमुखा ५ व।	नम्मा देवी
	200 100	हरीका याम
9	8/12/ 214	C7191 414

MINI SERVE STATE STATE OF THE S

Transfer to extragal

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.050 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,अल्मोडा

उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के जनपद अल्गोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्गोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.050 किमी॰) के निर्माण हेतु कुल 2.565 है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक— 19-11-19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् २००६ एवं नियम् २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्षतों में आयोजित की ग्यी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— ब्याजा विश्ववक्रमा उपजिलाधिकारी, अल्मोडा, अध्यक्ष

2- श्री मती संचिता जमा अल्मेंडा वर्न प्रभाग, अल्मेंडा

3- श्री अपन्द पाएरेप सहायक समाज कल्याण अधिकारी,

, सदस्य / सचिव

4- श्री ट्रान्टर ट्राप्टर बीठडी०सी० क्षेत्र कानव्ट प्रमुख वं खं - हवानबाग सदस्य

'लला - अल्मोडा उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.050 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.050 किमी०) के निर्माण हेतु कुल 2.565 है0 वन भूमि, निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– भनोली, जनपद अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No		Dated 01-01-2020
----	--	------------------

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.565 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.050 किमी०) in Almora district falls within jurisdiction of Tiwarikhan, Math Village (s) in Almora tabsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.:-YES

Encl: As above

-रिक्टा स्थाप केरनाथ बावकार्यः सम्बोधा Nitin Sirieh Pladauria District Collector, Almora

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	4
No	Dated01.01.2020
	No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.565 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसमा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.050 किमी०) in Almora district falls within jurisdiction of Tiwarikhan, Math Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.565 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Tiwarikhan, Math villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

n en State

Nitin Singh Bhadauria

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Nitin Singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date ol.: al.: 20.23. at time. 3: 35. Phat Almora in which application claiming rights of Tiwarikhan, Math measuring 2.565 hac. for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.050 किमी॰) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

ब स्थोता

Deputy Commissioner-sum Chairman
District Level Committee